न्यायालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 31/2021
GCMS Case Reg. 2021/55

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

1. स्व. श्री कमलाशंकर पिता बदिया जाति भील निवासी ग्राम भमरिया पाडा, कटुम्बी तहसील छोटी सरवन जिला बॉसवाडा के निकटतम वारीस व उत्तराधिकारी –
1/1 श्री कालूराम पिता कमला शंकर निवासी ग्राम भमरिया पाडा, कटुम्बी
1/2 श्री अनिल पिता कमला शंकर निवासी ग्राम भमरियां पाडा, कटुम्बी
1/3 श्री रामलाल पिता कमला शंकर निवासी ग्राम भमरिया पाडा, कटुम्बी
1/4 श्री प्रकाश पिता कमला शंकर निवासी ग्राम भमरिया पाडा, कटुम्बी
1/5 श्रीमती धुली पत्नि स्व. कमजी (कमला शंकर) ग्राम भमरिया पाडा, कटुम्बी
2. श्री कालूराम पिता कमला शंकर जाति भील निवासी ग्राम भमरिया पाडा, कटुम्बी
3. श्री अनिल पिता कमला शंकर निवासी ग्राम भमरिया पाडा, कटुम्बी
4. श्री रामलाल पिता कमला शंकर निवासी ग्राम भमरिया पाडा, कटुम्बी
5. श्री प्रकाश पिता कमला शंकर निवासी ग्राम भमरिया पाडा, कटुम्बी
6. श्री मणीलाल पिता बदीया निवासी ग्राम भमरिया पाडा, कटुम्बी
7. श्री राजेश पिता मणीलाल निवासी ग्राम भमरिया पाडा, कटुम्बी
8. श्री मुकेश पिता मणीलाल निवासी ग्राम भमरिया पाडा, कटुम्बी
9. रेखा पुत्री मणीलाल निवासी ग्राम भमरिया पाडा, कटुम्बी

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. भूमिधारी, तहसीलदार तहसील छोटी सरवन जिला बॉसवाडा
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64, Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

उपस्थितः 1– श्री नानालाल चरपो[illegible] – अधिवक्ता, प्रार्थीपक्ष
2– तह[illegible]
3– सक्ष[illegible] एवं उपखण्ड अधि[illegible] बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 16:22:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक :– 05.05.2022

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, आवेदकगण की कृषि भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ माही बांसवाडा(राज.) न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट 4 गुणा 700 मेगावाट परियोजना निर्माण हेतु न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा अवाप्त की गयी और मूल अवार्ड दिनांक 23.11.2015 के निर्णय द्वारा प्रार्थीगण व खातेदार स्व. बदिया पिता कालिया भील निवासी भमरियापाडा कटुम्बी तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा के नाम से आर. एण्ड आर. सं. 40 एवं पूरक 06 जारी किया गया परन्तु बाद में न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाडा के द्वारा संशोधित अवार्ड आदेश क्रमांक 721 दिनांक 15.05.2019 के द्वारा प्रार्थी नंबर 01 पर दर्ज स्व. कमलाशंकर के नाम का एवं अन्य प्रार्थीगण नंबर 02 से लगयात 09 तक के नाम से देय मूल आर. एण्ड आर. एवं अतिरिक्त आर. एण्ड आर. की राशी निरस्त किये जाने के आदेश बालां बालां दिये गये है। उपरोक्त आदेश दिनांक 15.05.2019 से दुखी, असन्तुष्ट व अप्रसन्न होकर प्रार्थीगण की ओर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र को धारा 64, Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब में उल्लेखित किया गया कि दिनांक 27.07.2016 को ग्राम कटुम्बी के निवासीयान गौतम, शंकर, शम्भू, नारायण, कान्ति पिता पुनिया, लालू पिता दोला एवं अन्य ने श्रीमान भूमि अवाप्ति अधिकारी बांसवाडा को शिकायत पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त बदिया पिता कालिया एवं के परिजन ग्राम कटुम्बी के निवासी नही होकर बाहर के निवासी होने से विस्थापित की श्रेणी में नहीं आते है, अतः इनको आर. एण्ड आर. का लाभ नहीं दिया जावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्रीमान भूमि अवाप्ति अधिकारी बांसवाडा द्वारा जांच हेतु पत्रांक 440 दिनांक 10.08.2018 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 1669 दिनांक 14.12.2017 से वास्ते जांच इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्राप्त पत्र के क्रम में तत्कालिन तहसीलदार छोटीसरवन ने अपने पत्र क्रमांक 125 दिनांक 01.05.2019 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि बदिया पिता कालिया एवं उसके परिजन ग्राम कटुम्बी के निवासी नहीं है, तथा ग्राम हरियापाडा की आराजी नंबर 1302/650 रकबा 5.00 बीघा जो स्वंय बदिया पिता कालिया के नाम से है, उस पर निवास कर रहे है। श्रीमान भूमि अवाप्ति अधिकारी बांसवाडा के आदेश क्रमांक 39 दिनांक 02.01.2018 द्वारा अवार्ड संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 16:22:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

1225 के आराजी नम्बर 1351/113 रकबा 1.12 बीघा भूमि को एन.पी.सी.आई.एल. के नाम से नामान्तकरण खोलने हेतु आदेश प्राप्त हुआ था, जिसकी पालना में कार्यालय द्वारा जरीये नामान्तकरण संख्या 1320 दिनांक 30.06.2018 से एन.पी.सी.आई.एल. के नाम दर्ज किया गया।

अप्रार्थी सं. 2 ओर से जवाब में उल्लेखित किया गया कि श्री बदिया पिता कालिया भील सा. देह खातेदार ग्राम कटुम्बी के आराजी नम्बर 1351/113 रकबा 1.12 बीघा एन.पी.सी.आई.एल. प्रोजेक्ट में अवाप्त होने से इस कार्यालय द्वारा मुआवजा की राशि अवार्ड संख्या 1225 राशि रू 12,28,448.00 का जारी होकर श्री बदिया के यूको बैंक के बचत खातें में ऑन लाईन जमा करा दिया गया है। बदिया पिता कालिया एवं उनके 9 अन्यु परिजनों के नाम आर. एण्ड आर. संख्या 40 व पूरक आर. एण्ड आर. संख्या 6 जारी किया गया था। दिनांक 27.07.2016 को ग्राम कटुम्बी के निवासीयान गौतम, शंकर, शम्भू, नारायण, कान्ति पिता पुनिया, लालू पिता दोला एवं अन्य ने इस कार्यालय में शिकायत पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त बदिया पिता कालिया एवं के परिजन ग्राम कटुम्बी के निवासी नहीं होकर बाहर के निवासी होने से विस्थापित की श्रेणी में नहीं आते है, अतः इनको आर. एण्ड आर. का लाभ नहीं दिया जावें। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र जांच हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 440 दिनांक 10.08.2018 से मूल ही वास्ते जांच तहसीलदार छोटीसरवन को भेजा गया, रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होने पर पुनः स्मरण पत्र क्रमांक 1669 दिनांक 14.12.2017 द्वारा यादध्यानी कराई गई। तहसीलदार छोटीसरवन ने अपने पत्र क्रमांक 125 दिनांक 01.05.2019 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कर अवगत कराया कि बदिया पिता कालिया एवं उसके परिजन ग्राम कटुम्बी के निवासी नहीं है, तथा ग्राम हरियापाडा की आराजी नम्बर 1302/650 रकबा 5.00 बीघा जो स्वंय बदिया पिता कालिया के नाम से है, उस पर निवास कर रहे है। श्री बदिया पिता कालिया अवार्ड सख्या 1225 के आराजी नम्बर 1351/113 रकबा 1.12 बीघा की राशि सम्बन्धित के बचत खातें में ऑन लाईन जमा होने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 39 दिनांक 02.01.2018 द्वारा तहसीलदार छोटीसरवन को एन.पी.सी.आई.एल. के नाम से नामान्तकरण खोलने हेतु आदेश जारी किया, जिसकी पालना में तहसीलदार छोटीसरवन द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 1320 दिनांक 30.06.2018 से एन.पी.सी.आई. एल. के नाम दर्ज किया गया, परतु नामान्तकरण दर्ज होने से विस्थापित होना सिद्ध नही होता क्योंकि प्रार्थीगण ग्राम कटुम्बी में निवासरत ही नहीं थे., तहसीलदार छोटीसरवन की रिपोर्ट से स्पष्ट है।

दिनांक 29.04.2022 को अपने प्र... धारा 5 अवधि अधिनियम पर कथन किया कि आवेदकगण कृषि भूमि अवाप्त ... परिवार सहित मजदुरी हेतु गुजरात चले गये थे। लॉक डाउन में छूट ... पहुंचने पर जानकारी में आने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 15:22:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रश्नगत अवार्ड की प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने के पश्चात् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः देरी को क्षम्य करने एवं धारा 5 म्याद अधिनियम का लाभ प्रार्थीगणो को दिये जाने निवेदन किया। बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहुॅचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अप्रार्थीगणो की ओर से दिनांक 21.03.2022 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई थी जिसके संक्षिप्त विवरणानुसार प्रार्थीगण की अवाप्त कृषि भूमि का मूल अवार्ड दिनांक 23.11.2015 के निर्णय द्वारा प्रार्थीगण व खातेदार स्व. बदीया पिता कालिया भील निवासी भमरियापाडा कटुम्बी तहसील छोटी सरवन जिला बॉसवाडा के नाम से आर. एण्ड आर. संख्या 40 एवं पुरक संख्या 6 जारी किया गया परन्तु बाद में न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बॉसवाडा के द्वारा संशोधित अवार्ड आदेश क्रमांक 721 दिनांक 15.05.2019 के द्वारा प्रार्थी सं. 1 पर दर्ज स्व.कमलाशंकर के नाम का एवं अन्य प्रार्थी सं. 2 से 9 तक के नाम से देय मूल आर.एण्ड आर. एवं अतिरिक्त आर.एण्ड आर. की राशि निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 15.05.2019 जारी हुआ जो निरस्तनीय है।

पूर्व में अधिनस्थ अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा पुनर्वासन एवं पुनव्यवस्थापन अवार्ड का भुगतान पत्र आवेदकगण आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम से जारी किया गया एवं दिनांक 23.11.2015 को आर. एण्ड आर. बदिया पिता कालिया एवं स्व. कमलाशंकर व प्रार्थीगण नंबर 02 से लगायत 09 तक के नाम से बनाया गया और खातेदार बदिया ने उनके नाम की मूल राशी आर. एण्ड आर. प्राप्त की। अब प्राथीगण को बिना किसी ठोस व तथ्यात्मक आधार के मिलने वाली राशि से वंचित नहीं किया जा सकता है और ना हीं राशी कानूनन निरस्त की जा सकती है। प्रार्थीगण के विरूद्ध श्री गौतमलाल, शंकरलाल वगैरह पिता पुनिया, लालू पिता दोला निवासी भमरियापाडा के द्वारा द्वेषता रखते हुवे मिथ्या व असत्य तथ्यों पर जो शिकायत की गयी है उसकी सही व निष्पक्ष जांच नहीं हुई है और ना ही प्राथीगण को दौराने सबुत प्रस्तुत करने एवं सुनवाई हेतु अवसर दिया गया है। वर्णित आदेश में प्रार्थीगण को हरियापाडा के आराजी नंबर 1302/650 रकबा 5–00 बीघा में खातेदार बदिया पिता कालिया की भूमि में मकान बना कर निवास करना व कटुम्बी में नहीं रहना बताया गया है जो कि वास्तविकता के विपरीत है बल्कि वास्तविक व वस्तुस्थिति यह है कि, प्रार्थीगण ग्राम कटुम्बी के वार्ड नंबर 5 के निवासी है। प्रार्थीगण का वार्ड नंबर 5 कटुम्बी गांव में आता है। जो कि निर्वाचन नामावली से भी सिद्ध है।

उपरोक्त आदेश दिनांक 15.05.2019 में प्रार्थीगण नंबर 7 व 8 को बदिया का पुत्र बताया गया है जबकि प्रार्थी नंबर 7 राजेश, प्रार्थी नंबर 8 मुकेश, प्रार्थी संख्या 06 मणीलाल के सगे पुत्र है। वर्णित आदेश में प्रार्थीगण नंबर 2 से लगायत 5 तक को भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 16:22:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

बदिया का पुत्र बताया गया है जबकि प्रार्थीगण नंबर 2 से लगायत 5 तक स्व. कमलाशंकर पिता बदिया के पुत्र होते है। अधिनस्थ के पत्र क्रमांक 440 दिनांक 10.08.2016 में अंकित आर. एण्ड आर. राशी एवं वर्णित आदेश दिनांक 15.05.2019 में अंकित राशी में भी काफी अन्तर है। इस प्रकार उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

कमलाशंकर पिता श्री बदिया भील निवासी भमरियापाडा कटुम्बी तहसील छोटीसरवन की मृत्यु दिनांक 05.07.2018 को हो चुकी है। स्व. कमलाशंकर के प्रार्थीगण नंबर 1/1 से लगायत 1/4 सगे पुत्र एवं प्रार्थीया नंबर 1/5 विधवा पत्नी होकर निकटतम उत्तराधिकारी व वारीस होने से स्व. कमलाशंकर के नाम ककी राशी को कानूनन प्राप्त करने के हकदार व पात्र है। इनका अन्य कोई वारीस नहीं है।

श्रीमान् भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाडा, जिला बांसवाडा (राज.) को आदेश क्रमांक/राजस्व/N.P.C.I.L./2019/721 दिनांक 15.05.2019 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर तहसील छोटीसरवन के ग्राम कटुम्बी के आर. एण्ड आर. संख्या 40 एवं पूरक 06 की राशी प्रार्थीगण के नाम से जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से दिनांक 12.04.2022 को बहस प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 29.04.2022 को पुनः बहस प्रस्तुत की गई जिसमे कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में गौतम, शंकरलाल वगैरह पिता लालु जाति भील निवासी ग्राम भमरीया पाडा द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई जिसमें प्रार्थीगण द्वारा ग्राम कटुम्बी के निवासी नही होने से आर एण्ड आर का परिलाभ नही दिये जाने प्रार्थना पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्रस्तुत किया गया जिसकी जॉच तहसीलदार छोटीसरवन से करवाई गई। तहसीलदार छोटी सरवन के पत्रांक 125 दिनांक 01.05.2019 द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट में शिकायत सही पाई गयी एवं प्रस्तुत रिर्पोट अनुसार प्रार्थीयान ग्राम कटुम्बी के निवासी नही होकर ग्राम हरियापाडा के निवासी होना पाये गये जो प्रोजेक्ट प्रस्तावित ग्राम से भिन्न ग्राम है तथा प्रोजेक्ट क्षैत्र से बाहर है।

जिला कलक्टर महोदय बॉसवाडा की अध्यक्षता में दिनांक 16.11.2017 को उपखण्ड अधिकारी, एन.पी.सी.आई.एल प्रोजेक्ट के अधिकारी, तथा तहसील के राजस्व स्टाफ के साथ आयोजित बैठक के बिन्दु सं. 7 पर यह निर्णय लिया गया कि यदि किसी काश्तकार का आर एण्ड आर 9.11 लाख बन गया है परन्तु अवार्ड वितरण प्रोजेक्ट प्रभावित ग्राम से भिन्न ग्राम [illegible] आई.डी जैसे आधार कार्ड प्रस्तुत करता है तो उक्त काश्तकार का [illegible] संशोधित कर 5.50 लाख ही देय होगा। भूमि अवाप्ति अधिकारी [illegible] अधिकारी) [illegible]सवाडा, जिला बांसवाडा (राज.) का आदेश क्रमांक/राजस्व/N.[illegible] दिनांक 15.05.2019 विधि सम्मत

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 15:22:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64 भुमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण में गौतम, शंकरलाल वगैरह पिता लालु जाति भील निवासी ग्राम भमरीया पाडा द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिसमें प्रार्थीगण द्वारा ग्राम कटुम्बी के निवासी नही होने से आर एण्ड आर का परिलाभ नही दिये जाने प्रार्थना पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार के पत्रांक 125 दिनांक 01.05.2019 द्वारा प्रस्तुत जॉच रिर्पोट में शिकायत सही पाई गयी एवं प्रस्तुत रिर्पोट अनुसार प्रार्थीयान ग्राम कटुम्बी के निवासी नही होकर ग्राम हरियापाडा के निवासी होना पाया गया है। तहसीलदार छोटी सरवन द्वारा पुनः प्रस्तुत रिर्पोट क्रमांक 198 दिनांक 05.04.2022 एवं उसके संलग्न मौका पर्चा दिनांक 04.04.2022 के अनुसार प्रार्थीगण ग्राम हरियापाडा के निवासी है तथा अवाप्तशुदा भूमि में प्रार्थीगण कभी निवासरत नही रहे है। भूमि अवाप्ति अधिकारी बॉसवाडा के आदेश क्रमांक /राजस्व/N.P.C.I.L./2019/721 दिनांक 15.05.2019 द्वारा भूमिधारी खातेदार कृषक श्री बदीया पिता कालिया की राशि संशोधित कर 5.50 लाख की गई तथा शेष परिजनो को नियमानुसार कोई लाभ देय नही होने से उनकी राशि शून्य कर दी गई है। जो सही है।

अतः भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाडा, जिला बांसवाडा (राज.) का आदेश क्रमांक/राजस्व/N.P.C.I.L./2019/721 दिनांक 15.05.2019 विधि सम्मत है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64 भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 15:22:01 IST
Reason: SelfAttested